बअदालत अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा
रा0वि0 वाद सं0–29/15–16
उत्पल हजारी वगैरह
बनाम्
रैयान मौजा सरोतिया

8/11/2019

आदेश

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना एवं अभिलेख का समग्र रूप से अवलोकन किया।

वर्तमान प्रक्रिया आवेदक उत्पल हजारी पे0 नागेश्वर हजारी वो रजनीकांत हजारी वो अभयकांत हजारी वो मनोज हजारी पेसरान स्व0 पृथ्वी हजारी सभी साकिनान सरोतिया अंचल गोड्डा जिला गोड्डा के आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है।

आवेदकगण का कथन है कि मौजा सरोतिया जमाबंदी सं0 31 गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में रवि महतो वल्द चैतु महतो के नाम से दर्ज है। जमाबंदी रैयत के द्वारा जमाबंदी का लगान भुगतान नहीं करने के कारण उनको जमाबंदी की जमीन से उच्छेद करने के लिए आर0ई0आर0 केश नं0–1139/1932–33 प्रारम्भ किया गया एवं आदेश दिनांक–15.05.1934 के द्वारा मूल रैयत रवि महतो को प्रश्नगत जमाबंदी के अन्तर्गत दाग नं0 593 रकवा 02–00–00 धूर जमीन से उच्छेद किया एवं ताराचन्द हजारी के द्वारा बकाया लगान की राशि भुगतान करने के कारण प्रश्नगत दाग नं0 593 रकवा 02–00–00 धूर जमीन उनके साथ बंदोवस्ती की गयी। बंदोवस्तदार ताराचन्द हजारी को आदेश दिनांक–19.11.1935 के द्वारा दखल दिहानी भी दिलाया गया। ताराचन्द हजारी का वंशावली निम्न प्रकार है :–

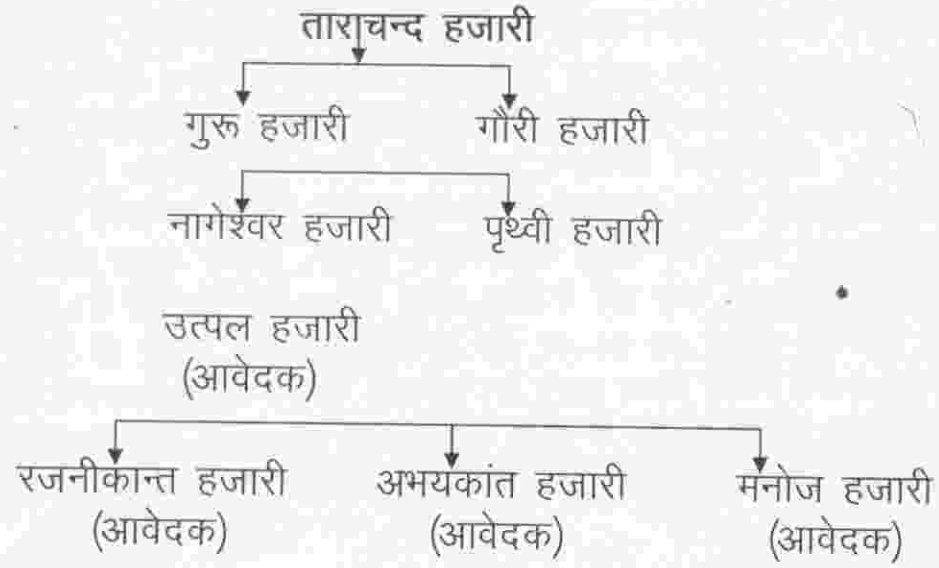

उनलोगो का आगे कथन है कि बंदोवस्तदार ताराचन्द हजारी के दोनो पुत्र आधे–आधे हिस्से के हकदार हुए। लेकिन ताराचन्द हजारी के ज्येष्ठ पुत्र गुरू हजारी को पारिवारिक व्यवस्था के तहत मौजा पाण्डुबथान की जमीन हिस्से में प्राप्त हुआ और द्वितीय पुत्र गौरी हजारी को प्रश्नगत जमीन प्राप्त हुआ। इस प्रकार प्रश्नगत जमीन पर गौरी हजारी दखलकार हुए। गौरी हजारी के बाद उनके दोनों पुत्र दखलकार हुए एवं वर्तमान में आवेदकगण प्रश्नगत जमीन पर दखलकार हुए। उनलोगों का आगे कथन है कि प्रश्नगत जमीन का सही सीमांकन एवं लगान का भी आवेदकगण के बीच में विभाजन नहीं होने के कारण कठिनाई होता है। उनलोगों ने लगान विभाजन के लिए अनुरोध किया है।

आपत्तिकर्त्ता जानकी बधौत, फन्नी बधौत एवं सुभाष यादव का कथन है कि ताराचन्द हजारी को प्रश्नगत जमीन वर्ष 1932–33 में प्राप्त हुआ और उन्हें बसगद्दी 1935 ई0 में दिया गया। लेकिन प्रश्नगत जमीन उनके दखल में कभी भी नहीं आया और उनके द्वारा लगान का भी भुगतान नहीं किया गया है। क्योंकि जमीन पर मुसाफिर बधौत एवं मनेजर बधौत दखलदार थे तथा उनके द्वारा लगान का भुगतान किया जा रहा था। उनलोगों का आगे कथन है कि जमाबंदी रैयत बौधी महतो के द्वारा गौरी हजारी के विरूद्ध एस0आर0 केश नं0–12/1969–70 दायर किया था। बाद में बौधी महतो के द्वारा वाद वापस लिया गया। क्योंकि प्रश्नगत जमीन पर मुसाफिर बधौत एवं मनेजर बधौत दखलकार थे एवं लगान का भुगतान उनदोनों के द्वारा किया जा रहा था एवं वर्तमान में भी आपत्तिकर्त्ता के द्वारा लगान का भुगतान किया जा रहा है एवं वर्तमान तसदीक सर्वे में भी उनलोगों का नाम दर्ज है। आपत्तिकर्त्तागण ने आवेदकगण के आवेदन को खारिज करन के लिए अनुरोध किया है।

कनकलाल महतो का कथन है कि प्रश्नगत जमीन ताराचन्द हजारी को प्राप्त है एवं आवेदकगण ताराचन्द हजारी के वंशज है।

अंचल अधिकारी गोड्डा के पत्रांक–1233/रा0, दिनांक–13.08.16 से प्राप्त प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। प्रतिवेदित किया गया है कि रैयती उच्छेदी वाद सं0–1139/1932–33 आदेश दिनांक–15.05.1934 के द्वारा मौजा सरोतिया थाना नं0 499 जमाबंदी सं0 31 दाग नं0 593 रकवा 02–00–00 धूर जमीन ताराचन्द हजारी को प्राप्त है। आवेदकगण ताराचन्द हजारी के वंशज है। वर्तमान रिविजन सर्वे (नया) में मौज सरोतिया खाता नं0 31 नया खाता नं0 74 बौधी महतो पिता रवि महतो वो उपेन्द्र महतो पिता रघु महतो जाति–कुर्मी निवासी मखनी कुसुम टोला के नाम से दर्ज है एवं अन्य खाता नया सर्वे में राधा बधौत वगैरह नाम से दर्ज है। वर्तमान में जमाबंदी सं0 31 पूर्ण रकवा 05–04–07 धूर जमीन रैयत रवि महतो के नाम से प्रधान द्वारा लगान रसीद निर्गत किया जाता है। प्रश्नगत जमीन पर आवेदकगण का दखल नहीं है बल्कि राधा बधौत वगैरह के द्वारा जोत आबाद किया जा रहा है। प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि प्रश्नगत जमीन विवादित है एवं अन्य लोगो के बीच विवाद होते रहता है।

G

जाँच प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी गोड्डा के द्वारा प्रश्नगत जमीन को विवादित प्रतिवेदित किया गया है जबकि संथाल परगाना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम–1949 की धारा 19 के तहत् अंचल अधिकारी का सहमति आवश्यक है। वर्तमान वाद में अंचल अधिकारी गोड्डा के द्वारा प्रश्नगत जमीन का लगान विभाजन के लिए अनुशंसा नहीं किया गया है। जानकी बधौत पुन्नी बधौत एवं सुबास बधौत के द्वारा लगान विभाजन के विरूद्ध आपत्ति किया गया है। आवेदकगण के द्वारा प्रश्नगत का एक भी लगान रसीद प्रस्तुत नहीं किया गया है और आवेदकगण के द्वारा 1934 के बाद लम्बी अवधि के बाद लगान विभाजन हेतु आवेदन दाखिल किया है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत जमीन का लगान विभाजन करने का आदेश देना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर आवेदकगण का आवेदक खारिज किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

अनुमंडल पदाधिकारी
गोड्डा।

अनुमंडल पदाधिकारी
गोड्डा।